उत्तराखण्ड शासन
खेलकूद अनुभाग
संख्या–825 /VI-3 / 2023–33(7)2014
देहरादून: दिनांक 01 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2023

विज्ञप्ति / संशोधन
विविध

उत्तराखण्ड प्रदेश के राज्यपाल महोदय, खेलकूद अनुभाग के निर्गत शासनादेश संख्या–728 / VI-3 / 2023–33(7)2014, दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा "खेल नीति–2021 की प्रख्यापित अधिसूचना दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 के कम में अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड में राजपत्रित / अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में" के वर्तमान नियम (बिन्दु **संख्या–1, बिन्दु संख्या–2 (ख)** एवं **बिन्दु संख्या–4 (श्रेणी–III एवं IV)** ***स्तम्भ–1*** को ***स्तम्भ–2*** के अनुसार, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, को तात्कालिक प्रभाव से संशोधित किये जाने की **अनुमति प्रदान करते हैं** :–

स्तम्भ–1		स्तम्भ–2	
वर्तमान नियम संख्या		**संशोधित नियम संख्या**	
(बिन्दु संख्या–1) अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखण्ड प्रदेश के स्थायी निवासी पदक विजेताओं को उत्तराखण्ड में राजपत्रित / अराजपत्रित पदों पर सेवायोजन प्रदान किया जायेगा।		**(बिन्दु संख्या–1)** अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखण्ड प्रदेश के **मूल / स्थायी** निवासी पदक विजेताओं को उत्तराखण्ड में राजपत्रित / अराजपत्रित पदों पर सेवायोजन **किया जायेगा।**	
बिन्दु संख्या–2 (ख) आवेदक खिलाड़ी द्वारा जिस वर्ष एवं जिस प्रतियोगिता के लिये सेवायोजन हेतु आवेदन किया गया हो, उस वर्ष एवं उस प्रतियोगिता में उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व नेशनल गेम्स में किया गया हो, तभी अर्ह माना जायेगा।		**बिन्दु संख्या–2 (ख)** आवेदन खिलाड़ी द्वारा जिस वर्ष एवं जिस प्रतियोगिता के लिए सेवायोजन हेतु आवेदन किया गया हो, उस वर्ष एवं उस प्रतियोगिता में उत्तराखण्ड राज्य प्रतिनिधित्व **राष्ट्रीय प्रतियोगिता** में किया गया हो, तभी अर्ह माना जायेगा।	
बिन्दु संख्या–4 **(श्रेणी–III)**		**बिन्दु संख्या–4** **(श्रेणी–III)**	
एशियन चैम्पियनशिप 04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली	स्वर्ण पदक विजेता	एशियन चैंपियनशिप	स्वर्ण पदक विजेता
बिन्दु संख्या–4 **(श्रेणी–IV)**		**बिन्दु संख्या–4** **(श्रेणी–IV)**	
एशियन चैम्पियनशिप 04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली	रजत एवं कांस्य पदक विजेता	एशियन चैंपियनशिप	रजत एवं कांस्य पदक विजेता

क्रमशः–2/–पर

2– उक्त शासनादेश संख्या–728 / VI-3 / 2023–33(7)2014, दिनांक 14 सितम्बर, 2023 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय एवं शासनादेश की अन्य शेष शर्तें / प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(अभिनव कुमार)
विशेष प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– 825 / **VI-3 / 2023–33(07) / 2014**, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, खेल विभाग / युवा कल्याण विभाग / गृह विभाग / वन विभाग / माध्यमिक शिक्षा विभाग / परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित प्रधानाचार्य, स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून / पिथौरागढ़।
8. समस्त जिला क्रीड़ा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
अपर सचिव।

D:\Folder MAY 2022\MISC LETTER 2022\LETTER.docx